उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या 06/2021/181/92-2-2021-108जांच/2014
लखनऊ :: दिनांक:: फरवरी 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम-कोलाना, विकास खण्ड-नोजिल, विधानसभा क्षेत्र माठ, जनपद-मथुरा में सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53मं0आ0/92-14-108जांच/2014 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/ 2015/558/92-1-15-108जांच/14 दिनांक 12-02-2015 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता का निलम्बन इस शर्त/प्रतिबंध के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया कि उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-07-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या सतही पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1077/92-2-15-108जांच/2014 दि0 23-09-2015 द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-888/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-मथुरा/2015-16 दिनांक 27-01-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-216/92-2-15-108जांच/14 दिनांक 17-03-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 18-04-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, द्वारा मार्ग निर्माण कार्यो में ब्रूमिंग का कार्य मानक के अनुरूप न कराने तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अग्रवाल को वर्ष 2016-17 के लिये विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुये उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-92/2017/554/92-2-17-108जांच/2014 दिनांक 16-06-2017 द्वारा समाप्त की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2017 को बलहीन पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-06-2017 द्वारा पारित दण्डादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन न पाये जाने पर उनके प्रत्यावेदन को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-208/2017/3170/92-2-17-108जांच/14 दि0 06-12-2017 द्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया।

6- प्रश्नगत प्रकरण में श्री संजय अग्रवाल के निलम्बन अवधि दिनांक 16-12-2014 से 12-02-2015 को सेवा में व्यतीत अवधि माने जाने अथवा न माने जाने के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 खण्ड-2(4) के नियम-54(ख) के अंतर्गत शासन के पत्र दि0 01-10-2020 से श्री संजय अग्रवाल के पत्र दिनांक 23-09-2020 के क्रम में प्राप्त निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से निलम्बन अवधि में उनके द्वारा अन्य कोई नौकरी/व्यवसाय आदि न किये जाने की आख्या एवं श्री अग्रवाल के पत्र दि0 23-09-2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण आदि संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त विचार करते हुये श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें वृहद/दीर्घ दण्ड न दिये जाने के दृष्टिगत उनके निलम्बन को औचित्यहीन पाते हुये निलम्बन अवधि दिनांक 16-12-2014 से 12-02-2015 को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि में दिये गये जीवन निर्वाह भत्तो के अतिरिक्त अवशेष वेतन भत्तो का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-06 /2021/181 (1)/92-2-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in